

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत कालादेह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत कालादेह

प्रकरण सं. - 11/2010 रेवा

निर्णय दिनांक -01.06.2016

अनवान

- 1 कालू सिंह पिता श्री माधों सिंह जाति रावत उम्र 32 साल
- 2 पप्पू सिंह पिता श्री माधोंसिंह जाति रावत उम्र 27 साल
- 3 भैरूसिंह पिता हुकमसिंह रावत उम्र 13 साल नाबालिग जरिये संरक्षक माता राधा देवी
- 4 राधा बेवा हुकमसिंह रावत उम्र 30 साल
- 5 तुसली पत्नि श्री माधोंसिंह रावत, उम्र 65 साल, समस्त निवासीयान धोटी चौड़ा तहसील भीम।

-वादीगण

बनाम

- 1 देवी सिंह पिता श्री मान सिंह जाति रावत
- 2 जसवन्त सिंह पिता श्री मालसिंह रावत
- 3 गोविन्द सिंह पिता कूपसिंह रावत
- 4 प्रेमसिंह पिता कूपसिंह रावत
- 5 डाउसिंह पिता कूपसिंह रावत
- सभी निवासीयान धोटी चौड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम

वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य मौजा धोटी पटवार क्षेत्र कालादेह तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात स्थित हैं :-

खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	किस्म
232	489	00.08.10	गै.मु.बाडा
	503	00.15.00	बारानी 2
	508	01.17.00	बारानी 2
	509	00.11.00	बारानी 1
	1082	00.07.10	गै.मु. चाह
	2275	00.04.10	बारानी 2
	2420	00.05.10	चाह 1
	2421	00.04.10	बारानी 2
	2422	00.03.10	नहरी 2
	2423	00.03.10	नहरी 2
	2426	00.03.00	नहरी 2
	629	00.06.00	चाही 3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

कुल किता 12 कुल रकबा 05 बीघा 09 विश्वा 10 विस्वांसी


खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	किस्म
142	2240	00.09.00	बजंड
238	566	00.05.00	चाही 1
138	2321	00.07.00	बारानी 2
	2322	00.13.00	बारानी 2
	2326	00.17.00	बारानी 2

कुल किता 03 कुल रकबा 01 बीघा 17 विश्वा

उक्त वर्णित आराजियात में खाता सं. 232 में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/2 का 1/2 हिस्सा हैं व इसी प्रकार से खाता सं० 142 में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 3 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा हैं व इसी प्रकार खाता सं. 238 में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा हैं।

वादीगण के जमीन रिकॉर्ड में अलग-अलग नहीं है जिस कारण से वादी अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नहीं कर पा रहा हैं व मौके पर हिस्से का विवाद रहता है इससे वादीगण अपने आने वाले हिस्से का पृथक से बंटवारा करवाना चाहते हैं।

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कालादेह में पेश हुआ। वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित जिनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। अतः उपरोक्त वर्णित आराजियात में खाता सं० 232 में वादी का 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 1 व 2 का 1/2 हिस्सा। इस प्रकार खाता सं० 142 में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा। खाता सं० 238 में वादीगण का 1/2 हिस्सा। प्रतिवादीगण सं० 1 का 1/2 हिस्सा। खाता सं० 138 में वादीगण का 1/2 हिस्सा। प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 हिस्सा। प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा। के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।


 (हायक कलेक्टर) एवं
 सीनियर अधिकारी, सी०
 जिला - राजसमन्द

डिगरी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री मूलसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

- 1 कालू सिंह पिता श्री माधों सिंह जाति रावत उम्र 32 साल
- 2 पप्पू सिंह पिता श्री माधोंसिंह जाति रावत उम्र 27 साल
- 3 भैरूसिंह पिता हुकमसिंह रावत उम्र 13 साल नाबालिग जरिये संरक्षक माता राधा देवी
- 4 राधा बेवा हुकमसिंह रावत उम्र 30 साल
- 5 तुसली पत्नि श्री माधोंसिंह रावत, उम्र 65 साल, समस्त निवासीयान धोटी चौड़ा तहसील भीम।

बनाम

- 1 देवी सिंह पिता श्री मान सिंह जाति रावत
 - 2 जसवन्त सिंह पिता श्री मालसिंह रावत
 - 3 गोविन्द सिंह पिता कूपसिंह रावत
 - 4 प्रेमसिंह पिता कूपसिंह रावत
 - 5 डाउसिंह पिता कूपसिंह रावत
- सभी निवासीयान धोटी चौड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीएक्ट
मुकदमा नं 11/2010 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित जिनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। अतः उपरोक्त वर्णित आराजियात में खाता सं० 232 में वादी का 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 1 व 2 का 1/2 हिस्सा। इस प्रकार खाता सं० 142 में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा। खाता सं० 238 में वादीगण का 1/2 हिस्सा। प्रतिवादीगण सं० 1 का 1/2 हिस्सा। खाता सं० 138 में वादीगण का 1/2 हिस्सा। प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 हिस्सा। प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा। के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.06.2016 को जारी की गई।


सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमन्द

द्वई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर	2	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुकमनामा	Nil	
बाबत् ईजराय हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
	1	00			
मीजान	6	00		मीजान	शून्य